फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री ललित मेघवाल पुत्र श्री मन्छाराम नि. पुरानी बस्ती, इन्दरी मेघवालों का वास, वार्ड नं.07, सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 76/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.12.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक/आर.टी.आई/अपील 76/2023/2879–81 दिनांक 03.11.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01 की सूचना है कि वर्ष 2015 से 2020 के मध्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य कर्मचारियो द्वारा नियमों के विपरीत सरकारी कार्मिको ने गेहूं उठाने वाले कामिकों की प्रति चाही गयी। जो कार्यालय के पत्र क्रमांक/2023/2221 दिनांक 27.10.23 द्वारा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवा दी गयी है एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना नियमो के विपरीत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाए कार्मिको के खिलाफ सरकार द्वारा/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गयी इस क्रम में सरकारी कर्मचारी द्वारा नियमो के विपरीत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाए कार्मिको से 27 रूपये किलो की दर से उपखण्ड अधिकारी द्वारा वसूली की जाकर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम विलोपित कर दिया गया है। जो कार्यालय के पत्र क्रमांक/2023/2221 दिनांक 27.10.2023 द्वारा आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवा दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमाकः आर.टी.आई. /2023/2221 दिनांक 27.10.2023 से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)